

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 08 फरवरी, 2023

इस मामले में :

**+ रिट याचिका (सि.) 69/2023 एवं सि वि. आ. 224/2023**

मुश्ताक अहमद

....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एम. एम. कश्यप, सुश्री  
पूनम सेठी एवं सुश्री स्वाति  
जैन, अधिवक्तागण ।

बनाम

दिल्ली नगर निगम एवं

....प्रत्यर्थागण

अन्य

द्वारा: सुश्री बीनाशा सोनी, एम सी  
डी की स्थायी अधिवक्ता सह  
सुश्री मानसी जैन एवं श्री  
भूपेश दंडोत्रा, अधिवक्तागण ।

कोरम :

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

निर्णय

सतीश चंद्र शर्मा, मु. न्या.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी को शास्त्री पार्क के गुरुवार साप्ताहिक बाजार को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 03.11.2022 को शाम के 04:00 बजे जब वह अपने दोस्त से मिलने के लिए उस गली से गुजर रहा था जहां गुरुवार को शास्त्री पार्क में साप्ताहिक बाजार आयोजित किया जाता है तो उसे भारी भीड़ के कारण अपने दोस्त के घर तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह प्रस्तुत करता है कि भीड़ के कारण उसके लिए अपने दोस्त से मिलने के लिए गली से गुजरना असंभव था। याचिकाकर्ता द्वारा आगे कहा गया है कि जिस दिन साप्ताहिक बाजार आयोजित किया जाता है, उस दिन उस गली से गुजरने में व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के अलावा, उस क्षेत्र में आग लगने की स्थिति में, एक फायर ब्रिगेड उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। वह प्रस्तुत करता है कि आपातकालीन स्थिति में, किसी रोगी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए भी उस क्षेत्र में उस दिन प्रवेश करना संभव नहीं होगा जब शास्त्री पार्क में साप्ताहिक बाजार आयोजित किया जाता है।

3. याचिकाकर्ता, इसलिए, प्रस्तुत करता है कि गुरुवार साप्ताहिक बाजार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत संचालित किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने याचिकाओं के एक समूह अर्थात् रिट याचिका (सि) 1699/1887 आदि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

पारित आदेश दिनांक 06.02.2007 पर भरोसा किया है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2007 में एम सी डी के प्रस्ताव सं. 377 दिनांक 25.10.2004 के द्वारा फेरीवाला के लिए निर्मित योजना पर भरोसा किया है जो शहरी सड़क विक्रेता पर राष्ट्रीय नीति, 2004 के अंगीकरण द्वारा अनुमोदित थी।

4. प्रत्यर्थी /एमसीडी ने अपना उत्तर दाखिल कर दिया है। उत्तर में कहा गया है कि साप्ताहिक बाजार एम सी डी द्वारा निर्मित मानक संचालित प्रक्रिया के अनुसार शहर के अलग अलग भागों में चल रहे हैं। उत्तर में आगे कहा गया है कि डीडीएमए संदर्भ संख्या एफ. 2/07/2020/एस. टी/पार्ट फाइल-IV/324 दिनांक 30.09.2020 और परिपत्र दिनांक 07.10.2020 के संदर्भ संख्या डी. नं. 2199/एसी/एसआईआई/एस/2020 जो प्रत्यर्थी/एमसीडी द्वारा जारी किया गया है, के निर्देशों के अनुसार शाहदरा दक्षिण क्षेत्र में साप्ताहिक बाजारों की अनुमति दी गई है।

5. प्रत्यर्थी/एमसीडी के विद्वान् स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि साप्ताहिक बाजार क्षेत्र के निवासियों की जरूरतों को पूरा करते हैं और फेरीवालों को साप्ताहिक बाजारों से अपनी साप्ताहिक आजीविका कमाने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। यह कहा गया है कि क्षेत्र के निवासियों और आसपास के स्थानों में रहने वाले गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए साप्ताहिक बाजारों का आयोजन किया जाता है। यह भी कहा गया है कि साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुएं ऐसी कीमतों पर उपलब्ध हैं जो नियमित बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों से कम हैं।

6. यह आगे कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा बनाई गई योजना को भी मंजूरी दी है, जिसमें उन स्थानों को निर्धारित किया गया है जहां बाजार संचालित किए जाने हैं, जिन दिनों में बाजार संचालित किए जाने हैं और साप्ताहिक बाजारों के लिए समय निर्धारित किया गया है।

7. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

8. अभिलेख पर सामग्री से पता चलता है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिनांक 07.10.2020 को एक निर्णय के द्वारा साप्ताहिक बाजारों (प्रति जोन दो साप्ताहिक बाजार) को चलाने के लिए अनुसूची को अंतिम रूप दिया और अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक गुरुवार शाम शास्त्री पार्क में एक साप्ताहिक बाजार चलाया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा साप्ताहिक बाजार चलाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

*“1. प्रत्येक साप्ताहिक बाजार में विक्रय स्थल का सीमांकन (6 'x4) पीले रंग से रेखाएं खींचकर किया जाना चाहिए। दो विक्रय स्थल छह फुट की दूरी पर होंगे और किसी भी सामान को खुले स्थान में रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस निरीक्षक प्रवर्तन कार्रवाई करेगा। चिन्हांकन साप्ताहिक बाजार मानचित्र के अनुसार सख्ती से किया जाएगा और सड़क की अनुमत लंबाई का उपयोग साप्ताहिक बाजार*

चलाने के लिए किया जाना चाहिए।(संबंधित रखरखाव प्रभाग और सामान्य शाखा द्वारा कार्रवाई)

2. सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए खरीदारों के लिए पीले पेंट से गोला बनाए जाए।(संबंधित रखरखाव प्रभाग द्वारा कार्रवाई)।

3. 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक/पॉलीथीन के थैलों का उपयोग नहीं किया जाएगा।(सामान्य शाखा द्वारा कार्रवाई)।

4. साप्ताहिक बाजार का समय शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होगा। सम्बंधित लाइसेंस निरीक्षक साप्ताहिक बाजार में शाम के 04:00 बजे से रात के 10:00 बजे तक ट्रक और श्रमिकों के साथ उपस्थित होगा एवं डीडीएमए के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करेगा सम्बंधित एल आई साप्ताहिक बाजारों (सामान्य शाखा द्वारा कार्रवाई) में राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. प्रत्येक विक्रेता को एक मास्क पहनना होगा और खरीददार के लिए हैंड सैनिटाइजर तैयार रखना होगा।स्टॉल से जुड़ने या विलय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. साप्ताहिक बाजार स्टॉल संक्रमित क्षेत्र में नहीं लगाए जायेंगे, यदि कोई हो।

7. शाहदरा दक्षिण क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस थाना के स्थानीय थानाध्यक्ष से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध

*किया जाता है कि इस पत्र में उल्लिखित के अलावा उनके क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक बाजार नहीं चलने दिया जाए।”*

9. उपर्युक्त निर्देशों के अवलोकन से पता चलता है कि साप्ताहिक बाजार चलाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया है। जैसा कि एमसीडी के स्थायी अधिवक्ता ने सही कहा कि प्रवासी कामगार और गरीब लोग सप्ताह के लिए सामान खरीदने के लिए साप्ताहिक बाजार में आते हैं जो नियमित बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों से कम कीमत पर उपलब्ध है। साप्ताहिक बाजार भी फेरीवालों को साप्ताहिक बाजारों से अपनी आजीविका कमाने की सुविधा प्रदान करते हैं।

10. अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि इन साप्ताहिक बाजारों की निगरानी एमसीडी द्वारा की जाती है। समन्वयन और दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए एक लाइसेंस निरीक्षक होता है जिसका पालन विक्रेताओं को करना होता है। एमसीडी के विद्वान् स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि साप्ताहिक बाजारों के संबंध में विक्रेताओं और अधिकारियों द्वारा निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

11. अभिलेख पर सामग्री आगे इंगित करती है कि याचिकाकर्ता को भारी भीड़ के कारण अपने दोस्त के घर तक पहुंचने में कठिनाई के अलावा क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार के दिन, याचिकाकर्ता द्वारा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि शास्त्री पार्क में साप्ताहिक बाजार के संचालन में किसी भी दिशा-निर्देश और निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा केवल मामूली बयान दिए गए हैं कि प्राधिकारियों द्वारा शहरी सड़क विक्रेता, 2004 पर राष्ट्रीय नीति का पालन नहीं

किया जा रहा है, बिना कुछ दिखाए कि साप्ताहिक बाजार कैसे कथित नीति का उल्लंघन करते हैं।

12. ये नीतिगत मामले हैं जिनमें रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा शास्त्री पार्क के गुरुवार साप्ताहिक बाजार को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह फैसला करना अदालतों का काम नहीं है कि साप्ताहिक बाजार कहां आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसे स्थान जहां साप्ताहिक बाजार आयोजित किए जाने चाहिए, उन्हें एमसीडी द्वारा शहरी सड़क विक्रेता, 2004 की राष्ट्रीय नीति और संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह दिखाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा अभिलेख पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि साप्ताहिक बाजारों के संचालन में किसी भी दिशा-निर्देश, निर्देशों या नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया गया है।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हो, के साथ याचिका खारिज की जाती है।

सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्यायाधीश

एस. सुभ्रमोणयम प्रसाद, न्यायाधीश

08 फरवरी, 2023

एस. जाकिर

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।